

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (2) यह दिनांक 14 जनवरी, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या—
29 सन् 1974 द्वारा
यथा संशोधित और
पुनः अधिनियमित
राष्ट्रपति अधिनियम
संख्या—10,
सन् 1973 की
धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, (जिसे आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 4 में, उपधारा (1—क) में, खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

“(त) एक विश्वविद्यालय जिसे स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर के रूप में जाना जायेगा;”

धारा 50 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1—ठ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

“(1—ड) जब तक कि इस धारा के अधीन स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।”

धारा 52 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 52 में उपधारा (2—ट) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

“(2—ठ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर का प्रथम अध्यादेश न बना लिया जाय, तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का अध्यादेश, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त था, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।”

अनुसूची का संशोधन

5— मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(क) क्रम-संख्या—7 पर उपसंज्ञात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेगी, अर्थात्:—

“7— महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

(एक) स्वामी शुकदेवानन्द बरेली, बदायूँ, पीलीभीत,
विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर शाहजहांपुर जिले
की स्थापना होने तक

(दो) स्वामी शुकदेवानन्द बरेली, बदायूँ, पीलीभीत जिले”
विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर
की स्थापना हो जाने पर

(ख) क्रम-संख्या 21 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

“22—स्वामी शुकदेवानन्द शाहजहांपुर जिला”
विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर

6—(1) राज्य सरकार स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना से सम्बंधित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी कालावधि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और
व्यावृत्ति

7—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 2
सन् 2026

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों को संशोधित और समेकित करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) अधिनियमित किया गया है।

राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में नये विश्वविद्यालयों को स्थापित किए जाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला शाहजहांपुर के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में छात्रों के लिये गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक नये राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

राज्य में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट, शाहजहांपुर के अधीन संचालित शैक्षणिक इकाईयों को उच्चीकृत कर ट्रस्ट के मुख्य प्रशासक स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती द्वारा स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 के सम्बन्ध में वित्तीय
ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उ०प्र० अध्यादेश संख्या 2 सन् 2026) के प्रतिस्थानी विधेयक 'उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 4, धारा 50, धारा 52 एवं उक्त अधिनियम की अनुसूची 5 में यथावश्यक संशोधन के प्राविधान किये जा रहे हैं। उक्त विधेयक के प्रवर्तन के आने पर राज्य की समेकित निधि से आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय होगा।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT)
BILL, 2026

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India
as follows :—

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 2026. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th day of January, 2026.

Amendment of
Section 4 of
President's Act
no. 10 of 1973 as
amended and
re-enacted by U.P.
Act no. 29 of 1974

Amendment
of Section 50

Amendment
of Section 52

Amendment
of Schedule

Power to remove
difficulties

Repeal and saving

2. In Section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1-A), *after* clause (o), the following clauses shall be *inserted*, namely:—

"(p) a University to be known as Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur;"

3. In Section 50 of the principal Act, *after* sub-section (1-L), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(1-M) Until the First Statutes of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur are made under this section, the Statutes of Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide;"

4. In Section 52 of the principal Act, *after* sub-section (2-K), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2-L) Until the First Ordinances of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur are made under sub-section (2), the Ordinances of Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

5. In the Schedule to the principal Act,—

(a) *for* the entries appearing at serial no. 7, the following entries shall be *substituted*, namely:—

"7 . Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly —

(i) Until the establishment of Districts of Bareilly, Budaun, Swami Shukdevanand Pilibhit, Shahjahanpur. University, Shahjahanpur.

(ii) Upon the establishment of Districts of Bareilly, Budaun, Swami Shukdevanand Pilibhit." University, Shahjahanpur.

(b) *after* serial no. 21, the following serial number and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely:—

"22. Swami Shukdevanand Shahjahanpur District." University, Shahjahanpur.

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature , as soon as may be, after it is made.

7. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2026 is hereby repealed.

U.P. Ordinance
no. 2 of 2026

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) was enacted to amend and consolidate the laws relating to certain universities in Uttar Pradesh.

The State Government has set a target to establish new universities in the State to provide quality higher education. In pursuit of this goal, a need has been felt to establish a new State University in the district of Shahjahanpur to ensure the availability of quality higher education for students in rural and backward areas.

For the holistic development of higher education in the State, it was decided to establish Swami Shukdevanand University, Shahjahanpur, by upgrading the educational units operated under the Mumuksha Ashram Trust, Shahjahanpur, by Swami Chinmayanand Saraswati, Chief Administrator of the Trust.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance no. 2 of 2026) was promulgated by the Governor on January 14, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY
Mantri,
Uccha Shiksha.